न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनीयॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00411(172/2012) 75 एलआरएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़– अपीलान्ट

बनाम

1. कर्मजीतकौर पत्नी सोहनलाल जाति बावरी सा0 खाराखेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुरज पुत्र सोहनलाल जाति बावरी सा0 खाराखेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. मेवा बाई पत्नी सोमतीलाल जाति सिन्धी नि0 हनुमानगढ। —— रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 07.05.2012

प्रकरण संख्या 28/2012 बअनवानी कर्मजीत कौर बनाम मेवाबाई

श्री रविन्द्र भोभिया, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक – 02.08.2021

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद् जारी करने बाबत शीर्षक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 2 एफटीपी की 0.253 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में मेवाबाई पत्नी सोमतीलाल के नाम से अंकित है, को जरिये बैयनामा क्रय करना दर्शित करते हुए खातेदारी सनद जारी करने का निवेदन किया।
2. पत्रावली में यह भी अंकित है कि नियमित किये जाने वाले रकबे पर कोई राशि बकाया होनी नहीं पाई जाति है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पेश शपथ–पत्र व सिंचाई विभाग की पर्ची के आधार पर क्रेतागण का कब्जा साबित है। सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई न ही अलॉटी को जरिये नो[illegible] त[illegible] करने पर न्यायालय में उपस्थित आया। प्रकरण नियम[illegible] होने से [illegible] के समक्ष रखा गया। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी [illegible] 42 का उल्लंघन [illegible] आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ''नियमन सिफारिश की जाती है'' अंकित है, जिसके नीची तहसीलदार, प्रधान, विकास अधिकारी एवं सरपंच के हस्ताक्षर हैं। उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रिकार्ड में क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये है। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के बिन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कास्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुऐ थे एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय रेस्पोडन्ट के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:11 IST
Reason: SelfAttested

6. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ माने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणवगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066 से 69 चक 2 एफटीपी की 0.253 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में मेवीबाई बेवामा सोमसीमल कौम सिन्धी सा0 हनुमानगढ के नाम अलॉटी दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है। मूल आवंटी को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साधारण सम्मन से तलब किया जाना आवश्यक था यदि साधारण सम्मन से तामील नही होती है तो रजिस्टर्ड सम्मन द्वारा तथा उसके बाद समन अखबार में प्रकाशित करवाकर तामील करवाई जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने मूल अलॉटी के सम्मन/नोटिस सीधे ही अखबार में प्रकाशिक करवाये हैं जो विधि सम्मत नहीं है। मूल अलॉटी मेवी बाई ने प्रश्गनत रकबे को बीबो बेवा निहाल सिंह को जरिये बैयनामा बेचान किया है, जिसकी फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इस फोटो प्रति को बैयनामे को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। बाद में बीबो बेवा निहाल सिंह ने दिनांक 10.06.1994 को वसीयतनामा सोहनलाल पुत्र नानकराम के नाम निष्पादित करवाया है, जिसे भी प्रदिर्शित नहीं करवाया गया है। जब बीबो बेवा निहालसिंह द्वारा वसीयतनामा करवाया गया था तब प्रश्नगत आरजी गैरखातेदार थी एवं गैर खातेदारी भूमि की वसीयत करने का उसे अधिकार नहीं था। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.05.2012 निरस्त किया जाता है पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 02.08.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

2/8/21

(करतार सिह पूनीयॉ)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)